उक्त परिस्थितियों में उपर्युक्त वाहन संख्या UK 07 AX 0922 को प्रार्थी के पक्ष में निम्न शर्तो पर रिलीज किया जाता है:–

1. प्रार्थी मु0 45,000/– रू0 की धनराशि का बन्धपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू पेश करे।

2. प्रार्थी इस बात की अण्डरटेकिंग दाखिल करे कि वह विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपरोक्त वाहन, को अपने स्वयं के खर्चे पर पेश करेगी।

3. यह कि दौरान विचारण वह वाहन को न किसी को बेचेगा, न किसी अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द करेगा व न ही उसके रंग रूप में कोई परिवर्तन करेगा।

4. प्रार्थी पेश किये गये दस्तावेजो की फोटोप्रति पत्रावली पर दाखिल करेगा।

संबंधित थानाध्यक्ष, रायपुर देहरादून को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत वाहन यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो, उसे इस मामले में, उसके पंजीकृत स्वामी/प्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार उचित शिनाख्त के पश्चात् निर्मुक्त किया जाये।

Shambhu Singh

(प्रभारी अधिकारी)
षष्टम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।